न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– अविचल चतुर्वेदी
आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं0 168/2019

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. रामजीलाल पुत्र ग्यारसा
2. मूलचन्द पुत्र ग्यारसा
3. प्रभुदयाल पुत्र ग्यारसा
4. कैलाश चन्द पुत्र ग्यारसा
   समस्त जाति हरियाणा ब्राह्मण निवासी ग्राम तलावड़ा तहसील दौसा उप तहसील सैंथल जिला दौसा।

..अपीलांट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा। ...रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय उप तहसीलदार सैंथल दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम रामजीलाल वगैरा मु0नं0 403/2018 अंतर्गत धारा 91 राज0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थित : 1. श्री राजकुमार तिवाड़ी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांकः 21.10.2019

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार सैंथल जिला दौसा ने दिनाक 26.12.2018 को ग्राम तलावडा तहसील दौसा के आ0ख0 1650 में से 0.60 है0 किस्म चरागाह भूमि पर अपीलांट्स को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पो0 को तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का सही प्रकार से विवेचन नहीं करके निर्णय पारित किया गया है। अपीलांट्स के विरूद्ध राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91(6) का तथ्य प्रमाणित नहीं होने के बावजूद भी अपीलांट्स को दोषी मानकर सजा देने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के तथ्यों पर कोई गौर नहीं किया गया। मात्र पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर बिना मौके की जॉच किये पटवारी हल्का की रिपोर्ट को ही सही मानकर निर्णय पारित किया है। पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विपरीत है। अपीलांट्स पश्चातवर्ती अतिक्रमी भी पत्रावली में साबित नहीं है। अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। अपीलांट्स का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांट अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांट्स खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया । पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जॉच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जॉच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांट्स द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांट्स द्वारा पटवारी हल्का की झूॅठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांट्स को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। अपीलांट कैलाश अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अधिवक्ता अपीलांट का यह कथन उचित नही है कि अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नही दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में चरागाह भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स द्वारा चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपीलांट्स की ओर से प्रश्नगत खसरा नंबर 1650 रकबा 0.60 है0 चरागाह भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ–पत्र प्रस्तुत किये है। इसलिए अपीलांट के शपथ–पत्रों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमियों के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट्स आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांट्स द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ–पत्रों में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत शपथ–पत्रों की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 21 अक्टूबर, 2019 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official